फाइल नं0-71-3002(002)/9/2023-03

46/2023/I/292253/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक 23 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में उपकरणों की सी0एम0सी0 हेतु मानक मद-29-अनुरक्षण में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/830, दिनांक 13.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में उपकरणों की सी0एम0सी0 हेतु मानक मद-29-अनुरक्षण में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में उपकरणों की सी0सम0सी0 हेतु संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक '2210-05-105-03-76' राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन के अन्तर्गत मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रू0 93.62 लाख (रू0 तिरानबे लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण - अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमणआवंटन/, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नहीं की जाएगी।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 93,62,000 (रुपये तिरानवे लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050376 राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी कानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।